



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)

भारत सरकार

निविदा फार्म

निविदाकार का नाम :-

निविदाकार का पता :-

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :- 20.03.2024 दोपहर 03:00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 20.03.2024 दोपहर 03:30 बजे तक

फर्म का पंजीयन संख्या :-

पैन कार्ड क्र./जी.एस.टी. क्र. :-

बयाना राशि :- रु. 2,10,000/- बैंक ड्राफ्ट नं
दिनांक जारीकर्ता बैंक

निविदाफार्म

(माल की मात्रा एवं विशिष्ट विवरण)

अवधि 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक

क्रं.	आयटम एवं विशिष्ट विवरण (सब्जी)	मात्रा	दर (अंकों में)	दर (शब्दों में)
01	02	03	04	05
1	आलू (पहाड़ी) देशी (3 इंच डायमीटर)	50,000 कि.ग्रा.		
2	प्याज (सूखी) (3 इंच डायमीटर)	35,000 कि.ग्रा.		
3	हरी मिर्च	1,500 कि.ग्रा.		
4	हरा धनिया	1,000 कि.ग्रा.		
5	अदरक	1,000 कि.ग्रा.		
6	लहसुन सूखा	750 कि.ग्रा.		
7	टमाटर (पका) 2 डायमीटर	20,000 कि.ग्रा.		
8	नीबू (पका-कागदी)	150 कि.ग्रा.		
9	लौकी (नरम)	2,500 कि.ग्रा.		
10	पालक (हरा पत्ता)	2,000 कि.ग्रा.		
11	बैंगन (गोला बड़ा-भरता वाला)	2,000 कि.ग्रा.		
12	भिण्डी (नरम)	400 कि.ग्रा.		
13	कद्दू (कच्चा)	1,000 कि.ग्रा.		
14	खीरा (नरम)	9,000 कि.ग्रा.		
15	शिमला मिर्च (हरी)	800 कि.ग्रा.		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)

भारत सरकार

16	गोभी (डन्टल, पत्ता काटकर) बंधा फूल	6,000 कि.ग्रा.		
17	गाजर (नरम लाल)	1,000 कि.ग्रा.		
18	बंद गोभी	4,000 कि.ग्रा.		
19	सहजना फली (नरम)	50 कि.ग्रा.		
20	परमल (हरा कच्चा)	1,000 कि.ग्रा.		
21	तोरई (कच्ची-पतली)	300 कि.ग्रा.		
22	टिण्डा (नरम)	1,000 कि.ग्रा.		
23	फ्रेंच बीन्स	250 कि.ग्रा.		
24	मैथी (हरा पत्ता)	150 कि.ग्रा.		
25	कैरी	100 कि.ग्रा.		
26	मूली	1,000 कि.ग्रा.		
27	सफल मटर	4,000 कि.ग्रा.		
28	चुकन्दर	25 कि.ग्रा.		
29	करेला	20 कि.ग्रा.		

नोट:-

1. कॉलम 4 व 5 निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिये एवं निविदा भरते समय दरे स्पष्ट लिखी जाना चाहिए।
2. ताजी सब्जी ही स्वीकार की जावेगी।



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)

भारत सरकार

//घोषणा//

मैं / हम इस फार्म के कॉलम 4 एवं 5 में उपरोक्तानुसार भरी गई दरों पर निविदा प्रस्तुत करता हूँ / है। यदि यह निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं / हम / मेरे / हमारे द्वारा निविदा शर्तों के आधार पर माल सप्लाई करने का बचन देता हूँ / हैं।

मेरे / हमारे द्वारा संस्थान की मांग पर सप्लाई करने की असमर्थता की दशा में हमारे द्वारा जमा की गई बयाना राशि / सुरक्षा निधि जप्त किये जाने हेतु तैयार हूँ / हैं।

दिनांक:-.....

(हस्ताक्षर निविदाकार)

नाम:-

फर्म का नाम:-

.....

फर्म का पता:-

.....

फोन नं.:-



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)

भारत सरकार

निविदा शर्तें

- 1- निविदा प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका कोई शुल्क देय नहीं है।
- 2- बयाना राशि रुपये 2,10,000/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि कुलसचिव, ल.रा.शा.शि. संस्थान, ग्वालियर के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 3- निविदा जिस लिफाफे में भरकर प्रस्तुत करें उसके बांयी और कोने पर निविदा सब्जियां प्रदाय के लिये लिखा होना चाहिये तथा निविदाकार का पता भी दर्शाया जाना चाहिये।
- 4- निविदा में दर्शाई गई वस्तुओं की मात्राएँ केवल अनुमानित है तथा यह मात्रा 20 प्रतिशत घटाई या बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिये निविदाकार किसी भी क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा।
- 5- निविदा स्वीकृति हेतु निविदा प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन तक निविदा अभिलेख कुलसचिव कार्यालय में खुले रहेंगे।
- 6- निविदा में दर्शाई गई सभी वस्तुओं को संस्थान के भोजनालय स्टोर तक निविदाकार द्वारा स्वयं के खर्च पर पहुंचाना होगा।
- 7- माल प्रदाय करते समय डिलेवरी चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना चालान के माल स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 8- सामग्री की आपूर्ति मांगकर्ता अधिकारी की मांग के अनुसार की जावेगी। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करना अनुबंध को भंग करना माना जावेगा तथा जितने माल की मात्रा की मांग की जायेगी उतना ही पूरा माल एकमुश्त संस्थान के भोजनालय के भण्डार में प्रदाय करना होगा। आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु के वजन में कमी को आपूर्ति न करना माना जायेगा तथा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंध की शर्तों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
- 9- सफल निविदाकार को सामग्री की अनुमानित मात्रा के मूल्य का 10 प्रतिशत की निष्पादन सुरक्षा निविदा स्वीकृति की दिनांक से 10 दिन के अंदर जमा करना होगा। निष्पादन सुरक्षा सावधि जमा रशीद (एफ.डी.आर.) के रूप में भी जमा की जा सकती है। निष्पादन सुरक्षा संतोषप्रद आपूर्ति के पश्चात् ही वापिस की जायेगी। अनुबंधी की शर्त का उल्लंघन करने पर निष्पादन सुरक्षा को जप्त कर लिया जायेगा एवं उक्त हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- 10- संस्थान के कुलपति/कुलसचिव किसी एक अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने या किसी भी निविदा की संपूर्ण अथवा कुछ भाग को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत किये जाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- 11- शर्तों के साथ प्रस्तुत की जाने वाली निविदायें मान्य नहीं की जायेगी।
- 12- सफल निविदाकार को 100/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर अनुबंध के विधिवत पालन करने के लिये अनुबंध करना होगा। बिना अनुबंध किये व सुरक्षानिधि जमा कराये बिना निविदाकार का काम संस्थान में स्वीकार नहीं किया जायेगा।



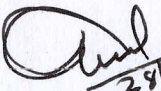
लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)

भारत सरकार

- 13- माल की सप्लाई भण्डारगृह पर सुबह 09:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं शाम को 03:00 बजे से 05:00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी।
- 14- माल की सप्लाई बगैर तौल एवं सूची / डिलीवरी चालन के स्वीकार नहीं की जायेगी तथा माल की निविदाकार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष तौल की जायेगी जो निविदाकार को मान्य होगी।
- 15- निविदाकार द्वारा माल प्रदाय करने हेतु किसी भी एक व्यक्ति को नामांकित करना होगा तथा उसका नाम कार्यालय में दर्ज कराना आवश्यक होगा।
- 16- ठेकेदार माल प्रदाय करने का मासिक बिल अपने छपे हुये बिल फार्म ;अर्थात् फर्म का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर जी.एस.टी. नंबर आदि सहितछ दो प्रतियों में भुगतान हेतु माह समाप्त होने के 7 दिवस के अंदर कार्यालय में जमा करने होंगे।
- 17- निविदा दिनांक 20.03.2024 को समय 03:00 बजे अपरान्ह तक संस्थान के भोजनालय कार्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में डाला जाना सुनिश्चित करें। उक्त समय के पश्चात् कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा खुलने का समय उसी दिन दोपहर 03:00 बजे अपरान्ह है, उक्त दिनांक को कोई शासकीय अवकाश या किसी अन्य कार्यावश कार्यालय बंद रहने की स्थिति में दूसरे दिन उसी समय पर निविदा खोली जावेगी।
- 18- बिल की राशि पर आयकर, उक्त एवं सेवा कर एवं शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य कर नियमानुसार काटे जायेंगे।
- 19- स्वीकृत निविदा की संपूर्ण औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात् ही सफल निविदाकार को प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा। निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर भारतीय मध्यस्थ अधिनियम के अंतर्गत कुलपति के द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के द्वारा निराकरण किया जावेगा तथा उभय पक्षों पर मध्यस्थ के द्वारा पारित अवार्ड बाध्यकारी होगा एवं उसके विरुद्ध कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने हेतु नहीं जावेगा।
- 20- निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:-
 - (1) पेनकार्ड एवं जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति।
 - (2) फर्म का विगत 3 वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि।
 - (3) फर्म का संबंधित खाद्य सामग्री का खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI) के अंतर्गत पंजीयन/लाइसेंस की प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
 - (4) फर्म का विगत 3 वर्षों में 10 लाख अथवा अधिक का टर्न ओवर का प्रमाण-पत्र तथा चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित फर्म का 3 वर्ष का वित्तीय स्टेटमेंट।
 - (5) विगत 3 वर्षों में शासकीय या अर्द्धशासकीय विभागों द्वारा उक्त सामग्री प्रदाय हेतु दिये गये प्रदाय आदेशों की प्रतिलिपि।

उपरोक्त दस्तावेजों की मूलप्रति मांगे जाने पर सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगी। गलत जानकारी/दस्तावेज पाये जाने पर बयाना (ई.एम.डी.) राशि जप्तकर अन्य प्रशासकीय कार्यवही की जावेगी।


29/02/24
कुलसचिव

DECLARATION OF INDEPENDENCE

1776

1776

When in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.

Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly, we have suffered the longest continuance of a Government under a King, whose character and conduct have been such as to excite the indignation of the whole People.

But a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same arbitrary system, has excited in the minds of the American People a just sense of their injuries, and a determination to throw off the yoke of British Tyranny, and to assume the station of free and independent States.

That the United Colonies by the unanimous consent of their respective Legislatures, have united in a Declaration of Independence, and have declared themselves to be free and independent States, absolved from all allegiance to the British Crown, and that they have assumed the sole and exclusive right of legislation.

In witness whereof, the Representatives of the United Colonies in General Congress, have signed this Declaration, and have caused the same to be signed by the President of the Congress, and have caused the same to be published.

Done at the City of New York, the 4th day of July, 1776.

John Jay, President of the Congress.

John Adams, Secretary of the Congress.

Thomas Jefferson, Secretary of the Congress.

Benjamin Franklin, Secretary of the Congress.

That the United Colonies by the unanimous consent of their respective Legislatures, have united in a Declaration of Independence, and have declared themselves to be free and independent States, absolved from all allegiance to the British Crown, and that they have assumed the sole and exclusive right of legislation.

41/1/10